न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 22/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक: 1.2.2018
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

नन्दा आत्मज बापू जाति भील निवासी काली तलाई तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0।

...अपीलाट

बनाम

1 कौशल्या बाई पुत्री बापू पत्नी रूघनाथ सिंह जाति भील निवासी कादलखेडी तहसील पिडावा जिला झालावाड।
2 ग्राम पंचायत काली तलाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत काली तलाई तहसील पिडावा जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सईद अहमद अभिभाषक अपीलाट
श्री बृजबिहारी गोचर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा

निर्णय

दिनांक 8.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 13/15/अपील बउनवान नन्दा बनाम कौशल्या मे पारित निर्णय दिनांक 31.5.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट ने सरपंच ग्राम पंचायत काली तलाई पंचायत समिति पिडावा द्वारा नन्दा पि0 बापू नानीबाई बेवा बापू जाति भील के नाम दर्ज विवादित आराजी का खातेदार नानीबाई के फौत होने उपरांत कौशल्या पि0 बापू हिस्सा 1/4 का तस्दीक किये गये नामा0 सं0 556 दिनांक 17.6.2015 ग्राम काली तालाई पक्षकारान अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से विरासत मे लडकी को हक प्राप्त नही होने से विधिविरूद्ध तस्दीक किये जाने से निरस्त किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा मे अपील पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 31.5.2016 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश कि, कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध

अति० सं० आयु०
कोटा

तथ्यो को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है। खातेदार भील जाति है जो अनुसूचित जन जाति का सदस्य है जिसमे पिता की आराजीयात मे लडकी को कोई हक प्राप्त नही होता है लेकिन रेस्पो0 नं0 1 उसकी पुत्री है जिसका नाम इंतकाल मे गलत दर्ज किया है जबकि केवल मात्र अपीलांट का ही नाम इन्तकाल मे आना चाहिये था। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पत्रावली मे दिनांक 9.2.2016 वास्ते जवाब नियत हुई थी उसके बाद दिनांक 31.5.2016 को जवाब मे पत्रावली जेरकार थी लेकिन अपीलांट को सूचना दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली केम्प कोर्ट मे पेश कर केवल मात्र रेस्पो0 की उपस्थिति मे बिना अपीलांट को सुने ही अपील खारिज करदी। अतः जेरअपील आदेश जेरअपील अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है जिसकी अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.11.2017 को पटवारी हल्का के बताने पर होने पर नकल प्राप्त कर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार कर निर्णय जेरअपील हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया रेस्पो0 क्रम–2 की तामील पूर्ण मानी गई तथा रेस्पो0 क्रम–1 के अभिभाषक श्री बृजबिहारी गोचर बावजूद सूचना के दौराने बहस उपस्थित नही हुये अतः प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि खातेदार नानीबाई की विरासत का सरपंच ग्राम पंचायत काली तलाई द्वारा पुत्री कौशल्याबाई रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे तस्दीक किये गये नामा0 सं0 556 विधि विरूद्ध होने से अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई थी जिसमे जवाब हेतु दिनांक 9.2.2016 तिथी नियत हुई थी उसके बाद दिनांक 31.5.2016 को जवाब मे पत्रावली जेरकार थी लेकिन अपीलांट को सूचना दिये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त पत्रावली केम्प कोर्ट मुकाम काली तलाई मे रख कर केवल मात्र रेस्पो0 की उपस्थिति मे बिना अपीलांट को सुने ही निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है अतः निर्णय अपास्त कर प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर जानकारी की तिथी 23.11.2017 से अपील को अवधि मध्य होना वर्णित किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। दौराने बहस प्रकरण मे रेस्पो0 एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नही हुये है। शपथ मे वर्णित तथ्यो के खण्डन मे कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। अतः अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। जेरअपील निर्णय दिनांक 31.5.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित नामा0 सं0 556 ग्राम काली तलाई के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.5.2016 को केम्प कोर्ट काली तलाई मे रख कर खारिज किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील मे वास्ते जवाब दिनांक 9.2.2016 नियत हुई थी उसके बाद दिनांक 31.5.2016 को पत्रावली जवाब मे जेरकार थी लेकिन अपीलांट को सुचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त पत्रावली केम्प कोर्ट काली तलाई मे रख कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दी ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 9.2.2016 एवं 12.4.2016 के अवलोकन से अपील पत्रावली मे आगामी तिथी 31.5.2016 वास्ते जवाब हेतु नियत की जाने की पुष्टि होती है। आदेशिका दिनांक 31.5.2016 को प्रथम अपीलीय

सद० रा० म०
अज०

न्यायालय ने केम्प कोर्ट काली तलाई मे पत्रावली को रख कर रेस्पो0 कम–1 कौशल्या बाई की उपस्थिति मे जेरअपील निर्णय पारित किया जाना आदेशिका से प्रमाणित होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 31.5.2016 अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जिसकी प्रमाणिकता प्रथम अपीलीय न्यायालय की अपील पत्रावली की आदेशिका एवं अपीलाधीन निर्णय से होती है। अतः प्रश्नगत अपील प्रकरण मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नही किये जाने संबधी अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 31.5.2016 को विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय 31.5.2016 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पिडावा को पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

5 निर्णय आज दिनांक 8.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा